

न्यायालय:-अमनदीप सिंह छाबड़ा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर,  
जिला बालाघाट(म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक 566 / 12

संस्थित दिनांक -12 / 07 / 12

म0प्र0 राज्य द्वारा, थाना बैहर  
 जिला बालाघाट म0प्र0

..... अभियोगी

// विरुद्ध //

01. विरेन्द्र कुमार वल्द मुलामसिंह  
 उम्र 25 वर्ष निवासी -कुमादेही  
 थाना बैहर जिला बालाघाट म0प्र0

02. मनोज वल्द रतनलाल बोरिकर  
 उम्र 35 वर्ष नि-हराभाट थाना बैहर  
 जिला बालाघाट म0प्र0

..... आरोपीगण

::निर्णय::

{ दिनांक 04 / 02 / 2017 को घोषित }

1. आरोपी विरेन्द्रकुमार के विरुद्ध भा.दं0सं0 की धारा 279, 337 एवं मो.व्ही.एक्ट की धारा 3/181 के तहत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 07.06.2012 को समय सुबह 09:00 बजे स्थान कुमादेही हाईस्कूल के सामने मेन रोड़ बीजा पेड़ के पास थाना बैहर अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन बुलेरो क्रमांक एम.पी.22/बी.ए.-0126 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन से टक्कर मारकर कमलेश पन्दे को चोट पहुंचाकर उपहति कारित की और उक्त वाहन को बिना वैध लाईसेंस के चलाया एवं आरोपी मनोज के विरुद्ध मो.व्ही.एक्ट की धारा 5/180 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने उक्त दिनांक समय स्थान पर उक्त वाहन को बिना लाईसेंस के चालक से चलवाया।

2. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी कमलेश ने थाना बैहर में उक्त आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी कि घटना दिनांक को वह अपनी बिना नम्बर की मोटरसाईकिल सुपर स्पेलेण्डर कुमादेही हाईस्कूल मेन रोड़ बीजा पेड़ के पास रोड़ किनारे खड़ी कर उसके पास खड़ा था तभी बैहर तरफ से वाहन बुलेरो क्रमांक एम.पी.22/बी.ए.-0126 के चालक विरेन्द्रकुमार ने वाहन को तेजगति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर मोटरसाईकिल एवं उसको

टक्कर मार दिया जिससे मोटरसाईकिल क्षतिग्रस्त हो गयी और उसे चोटें आयीं। प्रार्थी कमलेश की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण की विवेचना की गयी। घटनास्थल का मौकानक्शा बनाकर घटनास्थल से क्षतिग्रस्त मोटरसाईकिल जप्त की गयी। दौरान विवेचना गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गये। आरोपी चालक से बुलेरो वाहन मय कागजात के जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्तगण ने निर्णय के चरण एक में वर्णित आरोपों को अस्वीकार कर अपने परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. में यह बचाव लिया है कि वे निर्दोष हैं तथा उन्हें झूठा फंसाया गया है। कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं की है।

4. प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

- (1) क्या आरोपी विरेन्द्रकुमार ने दिनांक 07.06.2012 को समय सुबह 09:00 बजे स्थान कुमादेही हाईस्कूल के सामने मेन रोड़ बीजा पेड़ के पास थाना बैहर अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन बुलेरो क्रमांक एम. पी.22/बी.ए.-0126 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया?
- (2) क्या आरोपी विरेन्द्रकुमार ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन अथवा उपेक्षा से चलाकर आहत कमलेश पन्डे को चोट पहुंचाकर उपहति कारित की ?
- (3) क्या आरोपी विरेन्द्रकुमार ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना किसी वैध लाईसेंस के चलाया एवं अभियुक्त मनोज ने चलवाया ?

### **::सकारण निष्कर्ष::**

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1,2, तथा 3

साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने तथा सुविधा हेतु उक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

5. घटना के आहत कमलेश पन्डे (अ.सा.06) का कथन है कि वह आरोपी को जानता है तथा घटना वर्ष 2011 में अगस्त माह के आसपास की सुबह 10:30 बजे की है। उस समय वह अपने गांव कुमादेही से मोटरसाईकिल से परीक्षा की तारीख पता करने के लिए बैहर कॉलेज की ओर जा रहा था। कुमादेही हाईस्कूल के सामने बीजा पेड़ के पास अपनी मोटरसाईकिल खड़ी कर उस पर बैठा हुआ था, तभी चालक विरेन्द्रकुमार धुर्वे अपने वाहन बुलेरो को

तेज रफतार और लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया तथा उसकी गाड़ी को टक्कर मार दिया। वह बुरी तरह गिर गया जिससे उसे दोनों जांघों पर चोट आयी थी। फिर उसने तुरंत पुलिस थाना बैहर में जाकर रिपोर्ट प्र.पी.08 दर्ज करायी थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में उसकी चोटों का ईलाज हुआ था। पुलिस ने उसकी निशांदाही पर मौकानक्शा प्र.पी.05 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना दिनांक 07.06.12 को सुबह 09:00 बजे की है तथा आरोपी के बुलेरो वाहन का नम्बर एम.पी.22/बी.ए.-0126 था। साक्षी के कथनों में अभियोजन कहानी के संबंध में कोई विरोधाभास नहीं है तथा घटना के संबंध में उसकी साक्ष्य अखण्डनीय है जिसकी पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.08 से भी होती है।

6. कुशोबा ऐड़े (अ.सा.07) का कथन है कि घटना तीन-चार साल पूर्व दिन के 11-12 बजे कुमादेही स्कूल के पास बीजादेही की है। वह बैलगाड़ी से खेत जा रहा था तभी बैहर तरफ से आ रही चार पहिया वाहन ने तेज गति से चलाते हुए सड़क किनारे अपनी मोटरसाईकिल के पास खड़े कमलेश को जाकर टक्कर मार दी जिससे कमलेश को हाथ, पैर एवं सिर पर चोटें आयी थीं। घटना में कमलेश की मोटरसाईकिल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गयी थी। पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल से बिना नम्बर की मोटरसाईकिल प्र.पी.03 के जप्ती पत्रक के अनुसार जप्त की थी जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना सुबह 09:00 बजे की है तथा कमलेश को बुलेरो गाड़ी ने टक्कर मारी थीं उक्त बुलेरो हर्षाभाट के मनोज की थी जिस पर दो लोग बैठे हुए थे। उक्त साक्षी ने भी अभियोजन कहानी की पुष्टि की है तथा घटना के संबंध में उसकी साक्ष्य अखण्डनीय है।

7. डां. अक्षय रहमतकर (अ.सा.03) का कथन है कि घटना लगभग दो-तीन वर्ष पूर्व की है जब वह परसवाड़ा जाने के लिए कुमादेही रास्ते पर बैठकर बस का इंतजार कर रहा था। रोड़ के साईड में एक मोटरसाईकिल खड़ी हुई थी तभी चार पहिया वाहन बैहर तरफ से आया और रोड़ किनारे खड़ी मोटरसाईकिल को टक्कर मार दिया। उक्त दुर्घटना में किसी व्यक्ति को चोट नहीं लगी थी। पुलिस ने उससे कोई बयान नहीं लिया था। पक्षद्रोही द गोषित किये जाने पर यद्यपि उक्त साक्षी ने पुलिस को प्र.पी.03 के कथन देने से इंकार किये हैं तथापि उक्त साक्षी के कथनों से मूल घटना की पुष्टि होती है। घटना के अन्य साक्षी जीरनबाई अ.सा.01 तथा ओशीला अ.सा.02 पक्षद्रोही रहे हैं। जिन्होंने घटना के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी होने से इंकार

कर अपने पुलिस कथन क्रमशः प्र.पी.01 और प्र.पी.02 से इंकार किया है।

08. खेमचंद ऐड़े (अ.सा.04) का कथन है कि घटना लगभग तीन वर्ष पूर्व की है। ग्राम कुमादेही में रोड़ के किनारे हाईस्कूल के सामने घटनास्थल से उसके समक्ष एक मोटरसाईकिल क्षतिग्रस्त हालत में जप्ती पत्रक प्र.पी.03 के अनुसार जप्त हुई थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष जप्तशुदा मोटरसाईकिल का नुकसानी पंचनामा प्र.पी.04 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि प्र.पी.03 की जप्ती दिनांक 09.06.12 को की गयी थी तथा नुकसानी पंचनामा में चालीस हजार रुपये की नुकसानी होना बताया गया था। जप्ती तथा गिरफ्तारी का साक्षी प्रेमलाल अ.सा.10 पक्षद्रोही रहा है। जिसने उसके समक्ष आरोपी विरेन्द्रकुमार से वाहन जप्ती तथा आरोपी की गिरफ्तारी की कार्यवाही से इंकार कर जप्ती पत्रक प्र.पी.06 एवं प्र.पी.07 के सी से सी भागों पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किया है।

09. डां.एन.एस.कुमारे(अ.सा.09) का कथन है कि दिनांक 08.06.12 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में थाना बैहर से आहत कमलेश पन्द्रे को परीक्षण हेतु लाने पर उसके द्वारा चिकित्सीय परीक्षण कर आहत की दाहिनी जांघ पर कंटीयूजन तथा बायीं जांघ पर अब्रेजन पाया था। आहत द्वारा दाहिने हाथ एवं बायें कुल्हे पर दर्द होना बताया था परंतु कोई चोट नहीं थी। साक्षी के अनुसार उक्त चोट साधारण प्रकृति की होकर परीक्षण से 24-48 घण्टे के भीतर की थी जो कड़ी व बोथरी वस्तु से आना संभावित थी, उक्त परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.12 है जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी की साक्ष्य से घटना के समय आहत कमलेश को चोटें आना प्रमाणित होती है।

10. राजिक सिद्धिकी (अ.सा.08) का कथन है कि दिनांक 19.06.12 को थाना बैहर में पद स्थापना के दौरान उसके द्वारा अपराध क्रमांक 85/12 में जप्त वाहन बुलेरो रंग सिल्वर कलर का क्रमांक एम.पी.22/बी.ए-0126 का परीक्षण कर हेडलाईट, इंडीकेटर, टायर, हार्न, स्टेरिंग, बल्व, गियर, सायलेंसर, ब्रेक तथा साईड ग्लास ठीक अवस्था में पाया था उक्त परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.11 है जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी की साक्ष्य से वाहन में किसी प्रकार की तकनीकी खराबी नहीं होना प्रमाणित होता है।

11. पूरनलाल लिल्हारे (अ.सा.05) का कथन है कि दिनांक 09.06.12 को थाना बैहर में पदस्थापना के दौरान अपराध क्रमांक 85/12 की डायरी अनुसंधान हेतु प्राप्त होने पर कमलेश पन्द्रे की निशांदाही पर मौके पर जाकर मौकानक्शा प्र.पी.05 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही प्रार्थी कमलेश, अक्षयकुमार, ओशीला रहमतकर,



जीरनबाई, कुशोबा ऐडे एवं दिनांक 09.06.12 को मनोज के बयान उनके बताये अनुसार लेख किया था। उक्त दिनांक को ही घटनास्थल से गवाह कुशोबा, खेमचंद के समक्ष एक मोटरसाईकिल स्पेलेण्डर बिना नम्बर की घटनास्थल से क्षतिग्रस्त हालत में जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.03 तैयार किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 08.06.12 को आरोपी विरेन्द्रकुमार से गवाह प्रेमलाल, नरबद परते के समक्ष एक बुलेरो सिल्वर रंग की क्रमांक एम. पी.22/बी.ए.-0126 मय कागजात के जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.06 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उक्त गवाहों के समक्ष विरेन्द्रकुमार धुर्वे को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.07 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके तथा बी से बी भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर हैं।

12. पूरनलाल लिहारे (अ.सा.05) के अनुसार दिनांक 08.06.12 को मोटरसाईकिल सुपर स्पेलेण्डर बिना नम्बर की चैचिस क्रमांक MBLJAO5EGB9L19120 को जप्त कर नुकसानी पंचनामा प्र.पी.04 तैयार किया था जिसमें नुकसानी चालीस हजार रुपये की थी तथा जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 19.06.12 को वाहन क्रमांक एम.पी.22/बी.ए.-0126 का परीक्षण परीक्षणकर्ता राजिक सिद्धिकी से कराया था। आरोपी का लाईसेंस न होने से मो.व्ही.एक्ट की धारा 5/180 बढ़ायी गयी थी। यद्यपि जप्ती एवं गिरफ्तारी का साक्षी प्रेमलाल अ.सा.10 पक्षद्रोही रहा है जिसने उक्त कार्यवाही से इंकार किया है तथापि विवेचक साक्षी की साक्ष्य में विवेचना कार्यवाही के संबंध में कोई विरोधाभास नहीं है जिससे उसकी साक्ष्य पर अविश्वास किया जा सके तथा विवेचना कार्यवाही के संबंध में उसकी साक्ष्य अखण्डनीय है।

13. उपरोक्त साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि घटना दिनांक को अभियुक्त विरेन्द्र कुमार द्वारा वाहन बुलेरो क्रमांक एम.पी.22/बी.ए.-0126 को उतावलेपन एवं उपेक्षा से चलाकर आहत कमलेश को टक्कर मारकर उपहति कारित की। क्योंकि घटना के आहत कमलेश अ.सा.06 तथा कुशोबा ऐडे अ.सा. 07 ने आरोपी द्वारा तेज गति से वाहन चलाकर सड़क किनारे खड़ी मोटरसाईकिल एवं उपस्थित आहत को टक्कर मारने के अखण्डनीय कथन किये हैं। मौकानक्शा प्र.पी.05 से घटनास्थल सड़क किनारे होने की पुष्टि होती है। नुकसानी पंचनामा प्र.पी.04 से भी दुर्घटना का अंदाज लगाया जा सकता है। यद्यपि मात्र अभियोजन साक्षियों के वाहन के तेज गति से चालन के कथन के आधार पर उक्त संबंध में कोई उपधारण नहीं की जा सकती। तथापि सड़क किनारे खड़ी मोटरसाईकिल को अपनी विपरीत दिशा में जाकर जोरदार टक्कर मारकर मोटरसाईकिल को क्षतिग्रस्त करने तथा उपस्थित व्यक्ति को चोटिल

करने के कृत्य से उतावलेपन और उपेक्षा का निष्कर्ष निकाला जा सकता है। उक्त संबंध में न्याय दृष्टांत— अब्दुल सत्तार विरुद्ध राज्य 1980 (1) एम.पी. डब्ल्यू.एन.181 तथा राज्य विरुद्ध सरदारसिंह 1979 एम.पी.डब्ल्यू.एन.57 अवलोकनीय है।

14. विवेचक साक्षी पूरनलाल लिल्हारे अ.सा.05 के अनुसार आरोपी का लाईसेंस न होने से उस पर मो.या.अधि. की धारा 5/180 बढ़ायी गयी। उक्त विशिष्ट तथ्य को साबित करने का भार अभियुक्त पर था कि उसके द्वारा घटना के समय वाहन को बिना लाईसेंस के नहीं चलाया जा रहा था परंतु उसके द्वारा उक्त संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है और न ही साक्षी के प्रतिपरीक्षण में ऐसे कोई तथ्य प्रकट किये हैं। फलतः उक्त संबंध में साक्षी पूरनलाल लिल्हारे अ.सा.05 की साक्ष्य पर अविश्वास का कोई कारण दर्शित नहीं होता।

15. उपरोक्त संपूर्ण विवेचना से अभियोजन यह संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि घटना के समय अभियुक्त विरेन्द्रकुमार द्वारा अपने वाहन बुलेरो क्रमांक एम.पी.20/बी.ए.-0126 को लोक मार्ग पर उतावलेपन एवं उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कर आहत कमलेश पन्दे को चोट पहुंचाकर उपहति कारित की एवं वाहन को बिना किसी वैध लाईसेंस के चलाया तथा अभियुक्त मनोज द्वारा अपने वाहन को बिना लाईसेंस वाले व्यक्ति से चलवाया।

16. फलतः अभियुक्त विरेन्द्रकुमार को धारा 279,337 भा.द.वि. तथा मो.या.अधि. की धारा 3/181 एवं अभियुक्त मनोज को मो.या.अधि. की धारा 5/180 के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

17. अभियुक्तगण के विरुद्ध किसी पूर्वतन दोषसिद्धि. का कोई प्रमाण अभिलेख पर नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुये उन्हें अपराधी परवीक्षा अधिनियम 1958 के प्रवधानों का लाभ देना अथवा उनके विरुद्ध नर्म रुख लिया जाना उचित नहीं होगा। फलतः उन्हें एक उचित दण्ड देने की आवश्यकता है। अभियुक्त विरेन्द्रकुमार द्वारा कारित दोनों अपराध एक ही संव्यवहार में किये गये हैं। जिस हेतु पृथक-पृथक दण्ड की प्रणीति न्यायिक प्रतीत नहीं होती। फलतः उसे केवल गुरुत्तर अपराध के लिए दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

18. अतः अभियुक्त विरेन्द्रकुमार को धारा 337 भा.दं0सं0 में दोषी पाकर एक माह के साधारण कारावास एवं 500/—(पांच सौ) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है तथा मो.या.अधि. की धारा 3/181 के अपराध के

लिए न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 500/—(पाच सौ) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त मनोज को मो.या.अधि. की धारा 5/180 के अपराध में न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 1,000/— (एक हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा ना करने पर प्रत्येक अभियुक्त को अर्थदण्ड की प्रत्येक राशि के लिए एक-एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताया जावे।

19. अर्थदण्ड की सम्पूर्ण राशि धारा 357(1)(बी) दं.प्र.सं. के अंतर्गत परिवादी कमलेश पन्ने को अपील अवधि पश्चात एवं अपील ना होने की दशा में अदा की जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।

20. आरोपीगण प्रकरण में अभिरक्षा में नहीं रहे हैं, उक्त संबंध में धारा-428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

21. अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किय जाते हैं।

22. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति वाहन बुलेरो क्रमांक एम.पी.22/बी.ए. -0126 वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष में उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

23. अभियुक्तगण को निर्णय की प्रतिलिपि धारा 363(1) दं.प्र.सं. के तहत निशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)